



नान (राजस्थान)



UNDERTAKING

Date: 22.09.2023

This is to be clarify that

1. Education department has issued the RTE Affiliation to our school, Amrit Vidyaashram School, Fatehpur Shekhawati on 28.11.2012.
2. This RTE Affiliation is of permanent in nature. We need not to renew it from the department.
3. As per the circular Number: Shivira/Prarambhik/PSP/ Mool Manyata/ 19645/2018-19 Dated: 24.04.2018 Issued by Directorate Elementary Education, Bikaner, Rajasthan. (Copy Enclosed) those school who get the RTE affiliation after 2011, Such schools are treated with Permanent affiliation.

So, On the basis of the circular Shivira/Prarambhik/PSP/ Mool Manyata/ 19645/2018-19 Dated: 24.04.2018 issued by Directorate Elementary Education, Bikaner, Rajasthan we are hereby giving undertaking that:

1. Our RTE Affiliation is of permanent and there is no any provision of renewal of it.
2. circular Number: Shivira/Prarambhik/PSP/ Mool Manyata/ 19645/2018-19 Dated: 24.04.2018 Issued by Directorate Elementary Education, Bikaner, Rajasthan is attached herewith this letter of undertaking.

महेश्वर राय

President

Principal
22-9-2023

Principal

Principal
Amrit Vidya Ashram
Fatehpur- Shekhawati (Raj.)

ATTESTED
Mouf 22/9/2023
NOTARY PUBLIC
Fatehpur-Shekhawati Sikar (Raj.)

सुनिल क्रमांक 786 दिनांक 21/9/20 दिनांक मूल्य 50/रु.

क्रेता आर्यविद्युत इंजीनियरिंग प्रो. के.के.के.
पता राजीव ए. पुरेशिणी कॉम्प्लेक्स
प्रयोजन

हस्ते का नाम व पता

क्रेता हस्ते के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

राजस्थान स्टॉम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टॉम्प
राशि पर प्रभाविता अधिभार
1. आधारभूत अपसरचना सुविधाओं हेतु (घारा 3 रु)
10% रूपये 5
2. गाय और जंतुओं के रोगों और संक्रामक रोगों
(घारा 3 रु) प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं
के निवारण हेतु - 20% रूपये 10
कुल योग 15

हस्ताक्षर
स्टाम्प
नाम सुनील

कायालय 11 दशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

90

क्रमांक-शिविरा/प्रार/पीएसपी/मूल मान्यता/19654/2018-19/

87

दिनांक-24/04/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा,
समस्त.....

विषय:-आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 व 19 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को गत सत्रों में निश्चित समयावधि हेतु दी गई मान्यता के संबंध में।
प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.12(6) शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट. जयपुर दिनांक 05.03.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि वर्तमान में विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्याओं के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरटीई के मान व मानक पूरा करने वाली निश्चित समयावधि हेतु मान्यता प्राप्त सभी गैर सरकारी विद्यालयों को स्थाई मान्यता जारी करने के संबंध में निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

- जिन विद्यालयों को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता एवं सेवा शर्त) (संशोधित) नियम, 2011 के अधिसूचित होने के बाद नवीन मान्यता दी गई है वह स्थाई है अतः ऐसे सभी विद्यालयों को स्थाई मान्यता आदेश जारी कर दिए जावें।
- इन संशोधित नियमों के लागू होने से पूर्व संचालित जिन गैर-सरकारी विद्यालयों ने स्वघोषणा (प्रारूप-1) में सूचना भर कर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दी थी, जिनका निरीक्षण हुआ था तथा निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मान व मानक पूर्ण थे उनकी मान्यता स्थाई मानी जाने के आदेश जारी किए जावें।
- जिन विद्यालयों ने प्रारूप -1 में सूचना भरी थी तथा निरीक्षण में मान व मानक पूर्ण नहीं थे तथा जिन विद्यालयों ने प्रारूप-1 में सूचना भरी थी किन्तु उनका निरीक्षण नहीं हुआ था, उनके मान व मानकों की पुनः पुष्टि करने हेतु अन्तरब्लॉक (INTER BLOCK) ऑफलाइन निरीक्षण दल का गठन किया जावे। निरीक्षण दल में कुल दो सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय/व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को लगाया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन (सत्र 2018-19 मान्यता हेतु जारी) के आधार पर निरीक्षण दल विद्यालय का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करेगा। मान व मानक पूर्ण पाये जाने पर निरीक्षण दल एवं जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। मान व मानक अपूर्ण पाये जाने पर अनुशंसा 'ना' होने की स्थिति में मान्यता समाप्ति के आदेश जारी किये जावें।
- जिन विद्यालयों ने आरटीई की मान्यता हेतु प्रारूप-1 भरकर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं करवाया है उनकी विभागीय नियमानुसार मान्यता समाप्ति की कार्यवाही शुरू कर दी जावें।

आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 व 19 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को गत सत्रों में निश्चित समयावधि हेतु दी गई मान्यता के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से निदेशालय को 15 दिवस में अवगत करावें।

निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

O/C
3

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.वरिष्ठ शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-5), शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2.उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की अक्षरशः पालना करवाते हुए समेकित संख्यात्मक सूचना संलग्न प्रारूप में 20 दिवस में भिजवायें।

उप निदेशक(आरटीई)

O/C
3
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर